



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली
आई.एस.ओ. 9001-2000 (क्यू.एम.एस.) द्वारा प्रमाणित

www.esic.nic.in

संख्या: ए-28/15/1/06-स्था.6

दिनांक: 22.09.2014

ज्ञापन

विषय:- केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी 01.07.2014 से लागू संशोधित दरें।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/2014.स्था.2(ख), दिनांक 18.09.2014 की एक छायाप्रति अग्रिम आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती हों।

यह ज्ञापन वित्त आयुक्त महोदय के पृष्ठ सं. 32 पर सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(वी.के. रोडा)
उप निदेशक-II

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम।
2. सभी निदेशक (चिकित्सा) क.रा.बी. निगम।
3. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम।
4. निदेशक, उप क्षे. कार्यालय, पुणे/सभी प्रभासी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम।
5. सभी संयुक्त निदेशक (वित्त)/उप निदेशक (वित्त) क.रा.बी. निगम।
6. वित्त एवं लेखा शाखा-3/रोकड़ शाखा, मुख्यालय।
- ✓ 7. प्रणाली प्रभाग, मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. गाई फाईल/अतिरिक्त प्रतियां।

वेबसाइट की विषय-सूची का प्रबन्धन.....
Website Contents Management.....
डायरी नं./Diary No. 673
दिनांक/Date 22/9/2014

फा. सं. 1/2/2014-ई.11(बी)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 18 सितम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान- 01.07.2014 से लागू संशोधित दरें।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 27 मार्च, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2014-ई.11(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की मौजूदा 100 प्रतिशत की दर को 01 जुलाई, 2014 से बढ़ाकर 107 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2. इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय, इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(3)/2008-ई.11(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित उपबंध लागू रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।

4. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं।



(ए. भट्टाचार्य)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि, मानक वितरण सूची के अनुसार (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

F. No. 1/2/2014-E.II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi
Dated: 18th September, 2014.

OFFICE MEMORANDUM

**Subject:- Payment of Dearness Allowance to Central Government employees-
Revised Rates effective from 01.07.2014.**

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1/1/2014-E.II(B) dated 27th March, 2014 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 100% to 107% with effect from 1st July, 2014.

2. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M. No. 1(3)/2008-E.II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.

4. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

5. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.


(A. Bhattacharya)

Under Secretary to the Govt. of India

To,

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to:-

C&AG, UPSC, etc., as per standard list (with usual number of spare copies).